न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 102/2022

अनवान : –

1. शिम्भूसिंह पुत्र सायर सिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 12/4/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता स0 2/2 की कुल 6.3250 है0 भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम शिबुसिंह पुत्र सायर सिंह अंकित है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम शिम्भूसिंह पुत्र सायर सिंह है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, पहचान पत्र व जनआधार कार्ड व सरपंच ग्राम पंचायत गोगोमेडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में अंकित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो जाता है। अतः राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम शिम्भूसिंह पुत्र सायर सिंह दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी स0 1 को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का नाम शिंबुसिंह पुत्र सायर सिंह के स्थान पर सही नाम शिम्भूसिंह पुत्र सायर सिंह दर्ज कर देवें तथा प्रार्थी का कोई हिस्सा कम व ज्यादा नही होना है केवल नाम ही संशोधित [illegible] तक तो आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थ[illegible] किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:04:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर [illegible] जाकर अप्रार्थी को सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार के पत्रांक 1578 दिनांक [illegible].02.2023 द्वारा रिपोर्ट [illegible] की प्रेषित की गई की प्रार्थी का नाम शिंबुसिंह पुत्र सायर सिंह के स्थान पर शिम्भुसिंह पुत्र सायर सिंह दुरूस्त किया जाना उचित है।

Scanned with CamScanner

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम शिम्भूसिंह पुत्र सायर सिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम शिंबुसिंह पुत्र सायर सिंह गलत दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता स० 2/2 की कुल 6.3250 है० भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी अपना नाम शिम्भूसिंह पुत्र सायर सिंह सिंह दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड तथा सरपंच ग्राम पंचायत गोगामेडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में सही नाम शिम्भूसिंह पुत्र सायर सिंह अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू०अ० निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अभिशषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार नोहर, भू०अ० निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार नोहर, गिरदावर, पटवारी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता स० 2/2 की कुल 6.3250 है० भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थी शिंबुसिंह पुत्र सायर सिंह के स्थान पर सही नाम शिम्भूसिंह पुत्र सायर सिंह दुरस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच श्यामाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का शिंबुसिंह पुत्र सायर सिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम शिंबुसिंह पुत्र सायर सिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वय जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/4/23.... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
व सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:04:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner